

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की दिनांक 18.09.2026 को माननीय निदेशक महोदय की अध्यक्षता में आयोजित हुई बैठक का कार्यवृत्त।

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की जुलाई-सितम्बर, 2026 अवधि की एक बैठक डॉ. निखिल टंडन, माननीय निदेशक एवं संकायाध्यक्ष (शैक्षिक) महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 18.09.2026 को सायं 03.00 बजे, डॉ. रामालिंगास्वामी सभागार में आयोजित हुई। इस बैठक में संस्थान के निम्नलिखित अधिकारीगण ने भाग लिया:-

1. श्रीमती दिव्या यानामदाला, वरिष्ठ वित्त सलाहकार एवं राजभाषा अधिकारी, एम्स, नई दिल्ली।
2. श्री निशान्त कुमार, उप-सचिव, एम्स, नई दिल्ली।
3. श्री पदम सिंह, वित्त सलाहकार एवं वरिष्ठ हिंदी अधिकारी (का.), एम्स, नई दिल्ली।
4. अधीक्षण अभियंता इंजीनियरी सेवा विभाग, एम्स, नई दिल्ली के प्रतिनिधि:- श्री धर्मपाल शर्मा, कनिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी।
5. वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ के प्रतिनिधि:- श्री प्रवीण शर्मा, कनिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी।
6. वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, ए.सी.आर. प्रकोष्ठ की प्रतिनिधि:- श्रीमती चन्द्रा बिष्ट, सहायक प्रशासनिक अधिकारी।
7. वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, समन्वय प्रकोष्ठ एवं एस.सी./एस.टी. प्रकोष्ठ के प्रतिनिधि:- श्री राजेन्द्र कुमार, सहायक प्रशासनिक अधिकारी, समन्वय प्रकोष्ठ, नई दिल्ली।
8. श्री विनोद राणा, कनिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, स्थापना अनुभाग (नि.का.), एम्स, नई दिल्ली।
9. श्री विश्वेश चतुर्वेदी, प्रशासनिक अधिकारी, भर्ती प्रकोष्ठ, एम्स, नई दिल्ली।
10. श्री हिमांशु कांडपाल, लेखा अधिकारी, एम.एस.यू., एम्स, नई दिल्ली।
11. प्रभारी आचार्य, प्रोटोकॉल प्रभाग के प्रतिनिधि:- श्री भरपूर मेहरा, रिसेप्सनिस्ट, एम्स, नई दिल्ली।
12. श्री पवन शर्मा, सिस्टम एनालिस्ट, कंप्यूटर सुविधा, एम्स, नई दिल्ली।
13. श्रीमती ज्योति अरोड़ा, प्रशासनिक अधिकारी, स्थापना अनुभाग (अस्पताल), एम्स, नई दिल्ली।
14. वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, डॉ. रा.प्र.केन्द्र की प्रतिनिधि:- श्रीमती रेणु बाला, सहायक प्रशासनिक अधिकारी, डॉ. रा.प्र. केंद्र, एम्स, नई दिल्ली।
15. श्री ज्ञानचंद, प्रशासनिक अधिकारी, हृद् तंत्रिका केंद्र, एम्स, नई दिल्ली।
16. श्री मंगल सिंह, सहायक प्रशासनिक अधिकारी, डॉ. भी.रा.अ.सं.रो.कैं.अ., एम्स, नई दिल्ली।
17. श्री महेन्द्रपाल सिंह, प्रशासनिक अधिकारी, दंत शिक्षा एवं अनुसंधान केंद्र, एम्स, नई दिल्ली।
18. श्री शशिकांत खरवार, प्रशासनिक अधिकारी, जय प्रकाश नारायण एपेक्स ट्रॉमा केंद्र।
19. डॉ. अश्वनी कुमार मिश्रा, आचार्य, राष्ट्रीय औषध निर्भरता उपचार केंद्र, गाजियाबाद।
20. श्री श्याम सुन्दर लाल, सहायक प्रशासनिक अधिकारी, राष्ट्रीय कैंसर संस्थान, झज्जर।
21. श्री विजय कुमार, हिंदी अधिकारी, ए.स, नई दिल्ली।
22. श्री प्रमोद कुमार, हिंदी अधिकारी, ए.स, नई दिल्ली।

श्री प्रमोद कुमार, हिंदी अधिकारी ने बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए माननीय निदेशक महोदय, वरिष्ठ वित्त सलाहकार एवं राजभाषा अधिकारी महोदय और उप-सचिव महोदय तथा बैठक में उपस्थित अन्य सभी अधिकारीगण का स्वागत किया और तत्पश्चात माननीय अध्यक्ष महोदय से औपचारिक अनुमति प्राप्त करने के पश्चात बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई।

सर्वप्रथम, माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा संस्थान की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की दिनांक 24.06.2026 को आयोजित हुई पिछली बैठक के कार्यवृत्त की यथावत पुष्टि की गई।

1. **भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग द्वारा वर्ष 2026-27 हेतु जारी वार्षिक कार्यक्रम संबंधी:-** हिंदी अधिकारी ने माननीय समिति को सूचित किया कि भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग द्वारा वर्ष 2026-27 हेतु जारी वार्षिक कार्यक्रम दिनांक 23.04.2026 को माननीय वरिष्ठ वित्त सलाहकार एवं राजभाषा अधिकारी महोदय की ओर से संस्थान के सभी विभागों/अनुभागों/केंद्रों में सूचना एवं उचित कार्यवाही हेतु परिचालित किया गया था।

हिंदी अधिकारी द्वारा माननीय समिति को यह भी सूचित किया गया कि पिछली बैठक में लिए गए निर्णय के अनुपालन में, भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग द्वारा वर्ष 2026-27 हेतु जारी किए गए वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित किए गए लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु संस्थान के सभी विभागों/ अनुभागों/ केंद्रों द्वारा आवश्यक अनुपालनात्मक कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु माननीय वरिष्ठ वित्त सलाहकार एवं राजभाषा अधिकारी महोदय की ओर से दिनांक 22.07.2026 को जारी कर दिया गया है।

हिंदी अधिकारी ने माननीय समिति को यह भी अवगत कराया कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली "क" क्षेत्र में आता है तथा भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग द्वारा उपर्युक्त लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु पूरे भारत को 3 भागों में निम्नानुसार बांटा गया है:-

- "क" क्षेत्र में बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड राज्य तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह संघ राज्य क्षेत्र सम्मिलित हैं।
- "ख" क्षेत्र में गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब राज्य तथा चण्डीगढ़, दमन और दीव तथा दादरा व नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र सम्मिलित हैं।
- "ग" क्षेत्र में वे सभी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र सम्मिलित हैं जो "क" तथा "ख" क्षेत्र में शामिल नहीं किए गए हैं।

भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग द्वारा वर्ष 2026-27 हेतु जारी किए गए वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित किए गए लक्ष्यों पर विस्तृत विचार-विमर्श के उपरान्त माननीय समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि राजभाषा विभाग द्वारा वर्ष 2026-27 हेतु जारी वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु संस्थान के सभी विभागों/अनुभागों/केंद्रों द्वारा आवश्यक कदम उठाए जाएं। माननीय अध्यक्ष महोदय ने समिति के उपर्युक्त निर्णय को अपना अनुमोदन प्रदान किया।

कार्यवाही - अनुपालनकत उपर्युक्त सभी विनिर्दिष्ट विभाग/अनुभाग/केंद्र/हिंदी अनुभाग

2. संस्थान में हिंदी टंकण/आशुलिपि प्रशिक्षण प्रदान करने संबंधी:- इस विषय में हिंदी अधिकारी ने माननीय समिति को अवगत कराया कि भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुपालन में संस्थान के नियमित कनिष्ठ प्रशासनिक सहायकों/डाटा एंट्री ऑपरेटर्स/आशुलिपिकों आदि को हिंदी टंकण/आशुलिपि के अनिवार्य प्रशिक्षण हेतु नियमित रूप से नामित किया जाता है और वर्तमान में संस्थान के 07 कर्मचारीगण हिंदी टंकण/हिंदी आशुलिपि का प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं।

हिंदी अधिकारी ने माननीय समिति को यह भी सूचित किया कि हिंदी अनुभाग द्वारा भारत सरकार, राजभाषा विभाग की हिंदी शिक्षण योजना के तहत जनवरी, 2027 से प्रारम्भ होने वाले हिंदी टंकण/आशुलिपि प्रशिक्षण सत्र में भी संस्थान के नियमित कनिष्ठ प्रशासनिक सहायकों/डाटा एंट्री ऑपरेटर्स/आशुलिपिकों का नियमानुसार नामांकन करने सुनिश्चित के लिए अपेक्षित कार्रवाई शीघ्र ही प्रारम्भ की जाएगी।

इस विषय पर विस्तृत विचार-विमर्श के उपरान्त माननीय समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि हिंदी टंकण/आशुलिपि प्रशिक्षण के जनवरी, 2027 से प्रारम्भ होने वाले हिंदी टंकण/आशुलिपि प्रशिक्षण सत्र में भी संस्थान के नियमित कनिष्ठ प्रशासनिक सहायकों/डाटा एंट्री ऑपरेटर्स एवं आशुलिपिकों/वैयक्तिक सहायकों/निजी सचिव आदि का नियमानुसार नामांकन सुनिश्चित किया जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय ने समिति के इस निर्णय को अपना अनुमोदन प्रदान किया।

कार्रवाई - हिंदी अनुभाग एवं सभी विभाग/अनुभाग/केंद्र

3. संस्थान में हिंदी पदों का सृजन संबंधी:- हिंदी अधिकारी ने माननीय समिति को सूचित किया कि पिछली बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि भर्ती प्रकोष्ठ/परीक्षा अनुभाग द्वारा संस्थान में कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी (हिं.) के रिक्त 03 नियमित पदों को भरने के संबंध में आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। हिंदी अधिकारी द्वारा माननीय समिति को अवगत कराया कि कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी (हिं.) के 02 रिक्त पदों पर चयनित उम्मीदवारों ने पदभार ग्रहण कर लिया है। अन्य 01 रिक्त पद को भरने की प्रक्रिया चल रही है।

हिंदी अधिकारी ने माननीय समिति को यह भी अवगत कराया कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली द्वारा माननीय संसदीय राजभाषा समिति को दिए गए आश्वासन के अनुपालन में संस्थान में संयुक्त निदेशक (राजभाषा) के समकक्ष स्तर के एक पद को सृजित किया जाना अपेक्षित है जोकि वर्ष 2022 से अभी तक लम्बित है। माननीय संसदीय राजभाषा समिति द्वारा अभी हाल ही में किए गए संस्थान के निरीक्षण के दौरान भी संस्थान द्वारा यह आश्वासन पुनः माननीय समिति को दिया गया है जिस पर माननीय संसदीय राजभाषा समिति द्वारा जनवरी 2027 तक अपेक्षित कार्रवाई पूर्ण करके समिति सचिवालय को सूचित करने का आदेश दिया गया है। इसके साथ-साथ संस्थान में वरिष्ठ हिंदी अधिकारी के रिक्त पद को भी पदोन्नति द्वारा अतिशीघ्र भरे जाने का आदेश दिया गया है।

इस विषय पर विस्तृत विचार-विमर्श के उपरान्त माननीय समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि परीक्षा अनुभाग द्वारा संस्थान में कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी (हिं.) के रिक्त 01 नियमित पद को भरने के संबंध में आवश्यक कार्रवाई अतिशीघ्र पूर्ण की जाए और भर्ती प्रकोष्ठ द्वारा संस्थान में वरिष्ठ हिंदी अधिकारी के रिक्त पद को भी पदोन्नति द्वारा अतिशीघ्र भरा जाए। इसके साथ-

साथ भर्ती प्रकोष्ठ द्वारा संस्थान में संयुक्त निदेशक (राजभाषा) के समकक्ष स्तर के पद के सृजन हेतु भी एक प्रस्ताव तैयार करके सक्षम प्राधिकारी के सम्मुख प्रस्तुत किया जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा समिति के उपर्युक्त निर्णयों को अपना अनुमोदन प्रदान किया गया और प्रशासनिक अधिकारी (भर्ती) को आदेश दिया कि इस संबंध में अपेक्षित कार्रवाई जनवरी, 2027 से पहले पूर्ण की जाए।

कार्रवाई - भर्ती प्रकोष्ठ/परीक्षा अनुभाग

4. संस्थान में नियमित रूप से हिंदी कार्यशालाओं का आयोजन:- हिंदी अधिकारी द्वारा माननीय समिति को सूचित किया गया कि हिंदी अनुभाग द्वारा संस्थान में प्रशासनिक/वित्त/भंडार कैडरों के स्टाफ हेतु नियमित रूप से हिंदी कार्यशालाओं का आयोजन किया जा रहा है और 16 सितम्बर, 2026 को संस्थान के सहायक प्रशासनिक अधिकारियों के लिए एक हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया है।

इस विषय पर विस्तृत चर्चा के उपरांत माननीय समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि हिंदी अनुभाग द्वारा संस्थान में प्रशासनिक/वित्त/भंडार एवं अन्य कैडरों के स्टाफ हेतु भी नियमित रूप से हिंदी कार्यशालाओं का आयोजन किया जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा माननीय समिति के इस निर्णय को अपना अनुमोदन प्रदान किया गया।

कार्रवाई - हिंदी अनुभाग

5. संस्थान की तिमाही प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा संबंधी:- इस विषय के संदर्भ में हिंदी अधिकारी ने माननीय समिति को अवगत कराया कि भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग द्वारा हिंदी में मूल पत्राचार का लक्ष्य "क" क्षेत्र से "क" क्षेत्र को 100%, "क" क्षेत्र से "ख" क्षेत्र को 100%, "क" क्षेत्र से "ग" क्षेत्र को 70% और "क" क्षेत्र से "क" तथा "ख" क्षेत्र के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के कार्यालय/ व्यक्तियों को हिंदी में मूल पत्राचार का लक्ष्य 100% निर्धारित किया गया है, लेकिन दिनांक 30 जून, 2026 को समाप्त तिमाही के दौरान "क" क्षेत्र से "क" क्षेत्र को संस्थान का हिंदी पत्राचार 83.77% और "क" क्षेत्र से "ख" क्षेत्र को 72.75% तथा "क" क्षेत्र से "ग" क्षेत्र को 63.07% ही है।

तिमाही प्रगति रिपोर्ट पर विस्तृत चर्चा के उपरांत माननीय समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि मूल पत्राचार संबंधी निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति और "क" क्षेत्र से "ख" क्षेत्र एवं "क" क्षेत्र से "ग" क्षेत्र को संस्थान द्वारा किए जाने वाले हिंदी पत्राचार में अपेक्षित बढ़ोतरी करने के लिए तिमाही प्रगति रिपोर्ट प्रेषितकर्ता सभी अनुभागों/केंद्रों द्वारा गंभीरता से प्रयास किए जाएं। माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा समिति के उपर्युक्त निर्णयों को अपना अनुमोदन प्रदान किया गया।

कार्रवाई - हिंदी अनुभाग/तिमाही प्रगति रिपोर्ट प्रेषितकर्ता सभी अनुभाग/केंद्र

6. 'साहस' पोर्टल पर संस्थान के कर्मचारीगण के अर्जित/चिकित्सा अवकाश आदि संबंधी विवरण/सूचना/टेम्पलेट के द्विभाषी रूप में होने संबंधी:- हिंदी अधिकारी ने माननीय समिति को सूचित किया कि पिछली बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि उपर्युक्त विषय पर कंप्यूटर सुविधा द्वारा इस संबंध में अपेक्षित कार्रवाई एन.आई.सी./सी.डेक आदि के सहयोग से पूर्ण की जाए। चर्चा के दौरान, श्री पवन शर्मा, मिस्ट्रम एनालिस्ट द्वारा सूचित किया गया कि इस संबंध में अपेक्षित कार्रवाई एन.आई.सी./सी.डेक आदि के सहयोग से की जा रही है जिसमें थोड़ा समय लग

सकता है। उपर्युक्त विषय पर विस्तृत विचार-विमर्श के उपरान्त, माननीय समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि इस विषय में तकनीकी पहलू होने के कारण कंप्यूटर सुविधा द्वारा इस संबंध में अपेक्षित कार्रवाई एन.आई.सी./सी.डैक आदि के सहयोग से शीघ्र पूर्ण की जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा समिति के उपर्युक्त निर्णय को अपना अनुमोदन प्रदान किया गया।

कार्रवाई - कंप्यूटर सुविधा

7. **हिंदी अनुभाग द्वारा तिमाही प्रगति रिपोर्ट प्रेषितकर्ता सभी अनुभागों/केंद्रों का आवधिक राजभाषायी निरीक्षण किए जाने संबंधी:-** माननीय वरिष्ठ वित्त सलाहकार एवं राजभाषा अधिकारी महोदय ने संस्थान में प्रशासनिक कार्यों में हिंदी के प्रयोग को और अधिक बढ़ाने तथा संस्थान के तिमाही प्रगति रिपोर्ट प्रेषितकर्ता सभी अनुभागों/केंद्रों में राजभाषा संबंधी निरीक्षण कार्य प्रारम्भ करने का आदेश दिया। उन्होंने कहा कि नियमित निरीक्षण से संस्थान में हिंदी में किए जा रहे कार्यों की समीक्षा करना तथा आवश्यक सुधार करना संभव होगा। माननीय अध्यक्ष महोदय ने इसे अपना अनुमोदन प्रदान किया और तिमाही प्रगति रिपोर्ट प्रेषितकर्ता सभी अनुभागों/केंद्रों में राजभाषा संबंधी निरीक्षण कार्य प्रारम्भ करने का आदेश दिया।

कार्रवाई - हिंदी अनुभाग

8. **राष्ट्रीय औषध निर्भरता उपचार केंद्र, गाजियाबाद में एक अनुवादक की सेवाएं उपलब्ध करवाने के संबंध में:-** डॉ. अश्वनी कुमार मिश्रा, आचार्य, राष्ट्रीय औषध निर्भरता उपचार केंद्र, गाजियाबाद ने माननीय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से समिति को सूचित किया कि उनके केंद्र में राजभाषा हिंदी के कामकाज को करने के लिए कोई अनुवादक तैनात नहीं है जिसके कारण राजभाषा विभाग द्वारा वर्ष 2026-27 हेतु जारी वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु हिंदी में अपेक्षित कामकाज नहीं हो पा रहा है। इसलिए उन्होंने माननीय अध्यक्ष महोदय से अनुरोध किया कि राष्ट्रीय औषध निर्भरता उपचार केंद्र, गाजियाबाद में हिंदी के कामकाज के लिए सप्ताह में एक दिन के लिए एक हिंदी अनुवादक की सेवाएं संस्थान के हिंदी अनुभाग द्वारा उपलब्ध करवाई जाएं। माननीय वरिष्ठ वित्त सलाहकार एवं राजभाषा अधिकारी महोदय ने राष्ट्रीय औषध निर्भरता उपचार केंद्र, गाजियाबाद में प्रशासनिक कार्यों में हिंदी के प्रयोग को और अधिक बढ़ाने के लिए सप्ताह में एक दिन के लिए एक हिंदी अनुवादक की सेवाएं उपलब्ध करवाने की अपनी सहमति प्रदान की। माननीय अध्यक्ष महोदय ने इसे अपना अनुमोदन प्रदान किया और इस विषय में आवश्यक कार्रवाई करने का आदेश दिया।

कार्रवाई - हिंदी अनुभाग

हिंदी अधिकारी द्वारा माननीय निदेशक एवं अध्यक्ष महोदय, वरिष्ठ वित्त सलाहकार एवं राजभाषा अधिकारी महोदय तथा बैठक में उपस्थित अन्य सभी अधिकारीगण को आभार प्रकट करने के पश्चात बैठक सम्पन्न हुई।